न्यायालयः- सेशन जज, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी : जयदीप गर्ग)

===

प्रकरण का शीर्षक: छ.ग. राज्य बनाम दीपक यादव व अन्य

प्रकरण नंबर: सत्र प्रकरण क्र.-104/2024

<u>महत्वपूर्ण सूचना</u>

(माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा W.P. (Civil) No. 1082/2020 के पालन में)

यदि आप उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण करना चाहते हैं और यदि आप अधिवक्ता/वकील या विधिक कार्यवाही का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं तो आप विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं । विधिक सहायता एवं अन्य जानकारी के लिए **विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)** से संपर्क करें।

[विधिक सहायता समिति का संपर्क विवरण]

- **पता:** सचिव, जिला न्यायालय परिसर जांजगीर.
- **फोन नंबर:** 07817-299100
- **ईमेल:** dlsa.janjgir@gmail.com

स्थान-जांजगीर,
दिनांक 11.08.2026

Sd/-
(जयदीप गर्ग)
सेशन जज
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Scan with eCourts Services

FORM – D

न्यायालयः- सेशन जज, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी : जयदीप गर्ग)

सत्र प्रकरण क्रमांक-104/2024

[थाना चांपा का प्र.सू.रि. क्रमांक 268/दिनांक 28.06.2024]

CNR No. CGJC010022492024

(निर्णय दिनांक 11.08.2026)

संस्थित दिनांक 03.10.2024

अभियोजन	:-	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना–चांपा, जिला - जांजगीर चांपा (छ.ग.)	
राज्य की ओर से	:-	श्री संदीप बनाफर, लोक अभियोजक	
-ः विरूद्ध ः-			
अभियुक्तगण	:-	**1.**	दीपक यादव पिता-एकादशिया यादव, उम्र-30 वर्ष, निवासी-मोदी चौक चांपा, थाना-चांपा,जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
		2.	मिर्जा शाहिद बेग पिता-स्व. मिर्जा सलिम बेग, उम्र-26 वर्ष, निवासी-कसई पारा चांपा, थाना-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

JAIDEEP GARG

Digitally signed by JAIDEEP GARG
Date: 2026.08.11 16:12:07 +0530

अभियुक्तगण की ओर से	:-	श्री योगेश राणा अधिवक्ता ।

FORM – E **संपूर्ण प्रकरण की महत्वपूर्ण तिथियां**

घटना दिनांक	-	26.06.2024
प्रथम सूचना पत्र दिनांक	-	28.06.2024
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	-	05.09.2024
आरोप विरचित दिनांक	-	10.12.2024
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि	-	22.03.2025
निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक	-	11.08.2026
निर्णय दिनांक	-	11.08.2026
दंडित करने की तिथि, यदि कोई हो तो	-	11.08.2026

FORM – F **अनुक्रमणिका**

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	निर्णय का शीर्षक	1
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	2
3.	आरोप	4
4.	स्वीकृत तथ्य	5

5.	अभियोजन का प्रकरण	4-8
6.	अभियुक्त कथन	12
7.	विचारणीय प्रश्न	12-13
8.	कारण और निष्कर्ष	13-33
9.	दंडादेश	35
10.	अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि	36
11.	संपत्ति का निराकरण	36
12.	प्रतिकर का आदेश	36
13.	प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.स.	38
14.	दंडादेश/सुपुर्दगी का वारंट (कारावास/दंडादेश)	37
15.	निर्णय की प्रति	---

न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 1013/24 राज्य बनाम दीपक यादव व अन्य अंतर्गत धारा 450, 302, 397 भारतीय दण्ड संहिता में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 19.09.2024 से उद्भूत सत्र प्रकरण ।

-०:: निर्णय ०::-

(आज दिनांक 11.08.2026 को घोषित)

आरोप

1. अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450, 302 सहपठित धारा 34 एवं 397 के तहत यह आरोप है कि उनके द्वारा आपस में मिलकर एक-दूसरे के सामान्य आशय में छोटेलाल पांडेय के घर में घुसकर उसकी हत्या की गयी तथा वहां से सोने-चांदी के आभूषणों की लूट कारित की गयी ।

स्वीकृत तथ्य

2. **स्वीकृत तथ्यः** मृतक छोटेलाल पांडेय का चांपा स्थित मोदी चौक चांपा में डेयरी का दुकान है, जिस दुकान के सामने अभियुक्त दीपक यादव जरी चना (अंकुरीत चना) का दुकान लगाता है । अभियुक्त दीपक यादव मृतक की पत्नी व पुत्र को जानता है, उसका मृतक के पुत्र अमित पांडेय से अच्छा संबंध है ।

अभियोजन का प्रकरण

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.2024 को रात्रि में सूचक संतोष कुमार पांडेय ने थाना चांपा उपस्थित होकर सूचना दिया कि उसका चाचा छोटेलाल पांडेय मोदी चौक में डेयरी दुकान चलाता है और अपने परिवार सहित शंकर नगर चांपा में निवास करता है । सूचक दिनांक 26.06.2024 को अपने दुकान में था कि रात्रि करीब 9:30 बजे उसके चाचा छोटेलाल के पुत्र अमित पांडेय का फोन आया कि घर

में घटना हो गया है, तत्काल घर पहुंचो तब वह उसके घर गया । जहां छोटेलाल की पत्नी/चाची सरोज पांडेय एवं मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गये थे । उसकी चाची सरोज पांडेय बतायी कि वह दोपहर में दुकान गयी थी, छोटेलाल द्वारा लेने नहीं आने पर वह फोन लगायी तो छोटेलाल फोन नहीं उठाया तब मोहल्ले के जीवन नामदेव को घर जाकर देखने को बोली तो जीवन बताया कि छोटेलाल बिस्तर/पलंग में मृत पड़ा हुआ है, पास में वायर पड़ा हुआ है, आलमारी टूटी हुई है । सूचक की उक्त सूचना पर मर्ग क्रमांक 61/24 (प्र.पी.-1) दर्ज किया गया ।

4. थाना चांपा के मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल पर जाकर गवाहों को नोटिस (प्र.पी.-2) देकर मृतक छोटेलाल के शव का परीक्षण कर नक्शा पंचायतनामा (प्र.पी.-17) तैयार किया गया तथा मृतक के शव को पी.एम. हेतु बी.डी.एम. अस्पताल चांपा भेजा गया । घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा (प्र.पी.-40) तैयार किया गया तथा घटनास्थल से एक लाल रंग का वायर छिला हुआ, आलमारी का टूटा लोहे का हैण्डल जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.-23) तैयार किया गया । मर्ग जांच के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 268/24 (प्र.पी.-41) अंतर्गत धारा 450, 302 एवं 382 भा.द.सं. का दर्ज किया गया ।

5. अपराध दर्ज होने के उपरांत विवेचना के दौरान को गवाहों को

नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में संदेही/अभियुक्तगण दीपक यादव एवं मिर्जा शाहिद बेग का मेमोरंडम कथन (प्र.पी.-25, 26 एवं प्र.पी.-19, 20) लेखबद्ध किया गया और उनके मेमोरंडम कथन के आधार पर अभियुक्त दीपक यादव से एक विवो कंपनी का मोबाईल, एक लाल रंग की स्कूटी क्रमांक सी.जी.-11/ए.पी.-7877, एक लोहे का सूमा (नुकीला औजार), केबल वायर, थ्री पिन केबल प्लक, सोने का कान का झूमका, सोने का कान का लटकन, सोने का गौठला, सोने के धातु का टुकड़ा, सोने का लॉकेट, सोने का मटर दाना जप्त कर जप्तीपत्रक (27 एवं 21) तैयार किया गया । अभियुक्त मिर्जा शाहिद बेग से एक रेडमी कंपनी का मोबाईल, नगदी रकम 3600/- रूपये, सोने का हार, सोने की बाली, सोने का नाक की फुल्ली, चांदी का हाफ करधनी, चांदी का धातु का चाबी रिंग, चांदी का पायल, चांदी की पैरपट्टी जप्त कर जप्तीपत्रक (प्र.पी.-28 एवं 22) तैयार किया गया । प्रकरण में जप्त सोने एवं चांदी के आभूषणों का परीक्षण कराकर प्रतिवेदन (प्र.पी.-35) तैयार कराया गया । जप्त आभूषणों को तहसीलदार चांपा के समक्ष मृतक की पत्नी से पहचान कर शिनाख्ती पंचनामा (प्र.पी.-6) तैयार किया गया । प्रकरण में विद्युत तार को परीक्षण कर प्रतिवेदन बाबत् चिकित्सा अधिकारी बी.डी.एम. चांपा को प्रेषित किया गया । विवेचना के दौरान हल्का पटवारी से पटवारी नक्शा प्राप्त किया गया ।

6. प्रकरण में जप्तशुदा वस्तु एवं घटना स्थल से एकत्रित वस्तुओं की सूची निम्नानुसार हैः-

प्रदर्श-A एवं B	घटनास्थल से जप्त लाल रंग का वायर का टुकड़ा
प्रदर्श-C	अभियुक्त दीपक यादव के पेश करने पर जप्त लाल रंग के वायर का टुकड़ा

उक्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक जांजगीर के माध्यम से राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर प्रेषित किया गया, जहां से परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुई, जिसके अनुसार प्रदर्श-A, B एवं C एक-दूसरे के अभिन्न भाग है ।

7. साक्षियों का कथन लेखबद्ध किया गया । प्रकरण में विवेचना में अभियुक्तगण के विरूद्ध सबूत पाये जाने से उन्हें गिरफ्तार किया गया । विवेचना में एकत्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 450, 302, 397 भा.द.सं. का अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है जो न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा से विचारण हेतु उपार्पण पर प्राप्त हुआ है ।

8. अंतिम प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 173 द.प्र.सं. के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कंडिका-1 में वर्णित आरोप विरचित किये गये । अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त आरोपों से इंकार कर विचारण

की मांग की गयी है तथा स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाये जाने का कथन कर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है ।

<u>अभियोजन साक्षियों की सूची</u>

9. अभियोजन ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिये कुल 19 साक्षियों के कथन दर्ज कराये हैं जिनकी सूची निम्नानुसार हैः-

साक्षी क्र.	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
(अ.सा.-1)	संतोष कुमार पांडेय	सूचनाकर्ता/मृतक का भतीजा
(अ.सा.-2)	सरोज पांडेय	साक्षी/मृतक की पत्नी
(अ.सा.-3)	सुनीता दुबे	साक्षी/मृतक की पड़ोसी
(अ.सा.-4)	अमित पांडेय	साक्षी/मृतक का पुत्र
(अ.सा.-5)	जीवनचंद्र नामदेव	साक्षी/जप्ती
(अ.सा.-6)	मनीष नामदेव	साक्षी/जप्ती
(अ.सा.-7)	राजकुमार पाठक	साक्षी/आभूषण पहचान पंचनामा
(अ.सा.-8)	पटवारी पतिराम श्रीवास	नजरी नक्शा
(अ.सा.-9)	भालचंद तिवारी	साक्षी/मेमोरंडम, जप्ती
(अ.सा.-10)	निखिल पांडेय	साक्षी/मेमोरंडम, जप्ती
(अ.सा.-11)	संतोष कुमार तिवारी	साक्षी/मेमोरंडम, जप्ती
(अ.सा.-12)	गीता प्रसाद चौबे	साक्षी/मर्ग पंचनामा, जप्ती
(अ.सा.-13)	संतोष यादव	साक्षी/मेमोरंडम, जप्ती
(अ.सा.-14)	निरीक्षक डा. नरेश पटेल	विवेचक

(अ.सा.-15)	सुशांत चौधरी	आभूषण जांचकर्ता
(अ.सा.-16)	डा. मनीष श्रीवास्तव	शव पी.एम.
(अ.सा.-17)	नायब तहसीलदार प्रशांत गुप्ता	आभूषण शिनाख्ती कार्यवाही
(अ.सा.-18)	उप निरीक्षक के.डी. बनर्जी	विवेचक
(अ.सा.-19)	उप निरीक्षक दिलीप सिंह	मर्ग कायमी

<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज की सूची</u>

10. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियोग पत्र के साथ संलग्न निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करा कर प्रमाणित कराया गया है:-

Exhibit No.	Description of the Exhibit	Proved by/Attested by
प्र.पी.-1	मर्ग इंटीमेशन	PW-1
प्र.पी.-2	शव पंचनामा में उपस्थित होने हेतु नोटस	PW-1
प्र.पी.-3 ए	एफएसएल रिपोर्ट के संबंध में प्रभारी का कव्हरिंग लेटर	PW-14
प्र.पी.-3	एफएसएल रिपोर्ट के संबंध में पुलिस अधीक्षक का कव्हरिंग लेटर	PW-1
प्र.पी.-4	पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रेषित एफएसएल ज्ञापन	PW-1
प्र.पी.-5	एफएसएल रिपोर्ट	PW-1

प्र.पी.-5 ए से 5 डी	तार की छायाप्रति	PW-1
प्र.पी.-6	शिनाख्ती पंचनामा	PW-2
प्र.पी.-6 ए	सोने चांदी के आभूषणो की पहचान बाबत् ज्ञापन	PW-17
प्र.पी.-6	सुनीता दुबे का पुलिस कथन	PW-3
प्र.पी.-7	नजरी नक्शा	PW-4
प्र.पी.-8	पटवारी पंचनामा	PW-4
प्र.पी. 9	अमित पाण्डेय का पुलिस कथन	PW-4
प्र.पी.-10	पटवारी नजरी नक्शा	PW-8
प्र.पी.-10 ए	घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदान करने बाबत् आवेदन	PW-18
प्र.पी.-11 से प्र.पी.-16	किसी भी दस्तावेज पर प्रदर्श पी.-11 से प्रदर्श पी.-16 अंकित नहीं होने से निरंक है ।	
प्र.पी.-17	नक्शा पंचायतनामा	PW-9
प्र.पी.-18	धारा 160 दप्रसं का नोटिस	PW-9
प्र.पी.-19	अभियुक्त मिर्जा शाहिद बेग का मेमोरण्डम कथन	PW-9
प्र.पी.-20	अभियुक्त दीपक यादव का मेमोरण्डम कथन	PW-9
प्र.पी.-21 से 23	संपत्ति जप्ती पत्रक	PW-9
प्र.पी.-24	धारा 160 दप्रसं का नोटिस	PW-10

प्र.पी.-25	अभियुक्त दीपक का मेमोरण्डम कथन	PW-10
प्र.पी.-26	अभियुक्त मिर्जा साहिद का मेमोरण्डम कथन	PW-10
प्र.पी.-27 एवं 28	संपत्ति जप्ती पत्रक	PW-10
प्र.पी.-29 एवं 30	गिरफ्तारी पत्रक	PW-10
प्र.पी.-31	तलाशी पंचनामा	PW-10
प्र.पी. 32	प्रोडक्शन वारंट जारी करने एवं पुलिस रिमाण्ड प्रदान करने बाबत् आवेदन	PW-14
प्र.पी. 33	एफएसएल परीक्षण के लिये आवेदन	PW-14
प्र.पी. 34	एफएसएल की पावती	PW-14
प्र.पी. 35	आभूषणों का परीक्षण हेतु नोटिस	PW-15
प्र.पी.-35 ए	आभूषण का जांच प्रतिवेदन	PW-15
प्र.पी.-36	शव परीक्षण हेतु आवेदन	PW-16
प्र.पी.-37	शव परीक्षण प्रतिवेदन	PW-16
प्र.पी.-38	क्यूरी प्रतिवेदन	PW-16
प्र.पी.-38 ए	क्यूरी के लिये प्रेषित आवेदन	PW-18
प्र.पी.-39	कर्तव्य प्रमाण पत्र	PW-18
प्र.पी.-40	नजरी नक्शा	PW-18
प्र.पी.-41	प्रथम सूचना पत्र	PW-18
प्र.पी.-42	FIR न्यायालय पावती	PW-18
प्र.पी.-43 एवं 44	गिरफ्तारी की सूचना	PW-18

अभियुक्तगण का बचाव एवं उनकी ओर से प्रदर्शित दस्तावेज

11. अभियुक्त/बचाव पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही कोई दस्तावेज पेश किया गया है किंतु निम्न अभियोजन साक्षी के पुलिस कथन को प्रदर्श डी.-01 के रुप में चिन्हित किया गया है:-

Exhibit No.	Description of the Exhibit	Proved by/Attested by
प्र.डी.-01	साक्षी संतोष कुमार का पुलिस कथन	PW-1

12. धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया है एवं कोई बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है ।

॥ विचारणीय प्रश्न ॥

13. प्रकरण में उभयपक्षों के मौखिक तर्क श्रवण किये गये, प्रस्तुत साक्ष्य तथा अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्क का परिशीलन किया गया । प्रकरण में निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है कि:-

i. क्या मृतक छोटेलाल पांडेय की हत्या की गयी ?

ii. क्या अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलकर एक-दूसरे के सामान्य आशय में छोटेलाल पांडेय के घर में घुसकर उसकी हत्या की गयी तथा वहां से सोने-चांदी के आभूषणों की लूट

कारित की गयी ?

॥ विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष ॥

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1

14. साक्षी **संतोष कुमार पांडेय (अ.सा.-1)** ने कथन किया है कि छोटेलाल पांडेय उसके चाचा थे । दिनांक 26.06.2024 को उनके मृत्यु की सूचना मिलने पर वह उनके घर गया था । उसके द्वारा थाना चांपा में छोटेलाल पाण्डेय की मृत्यु की सूचना (प्र.पी.-1) दर्ज कराई गई थी । पुलिस वाले उसे कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु सूचना (प्र.पी.-2) दिये थे । उसने चाचा/मृतक छोटेलाल के शव को परीक्षण के लिए उठा रहे थे तो गले के पीछे साईड लाल रंग के खून जैसे निशान देखा था तथा पास में वायर पड़ा हुआ था, आलमारी खुली हुई थी और उसके ताले वगैरह टूटे हुए थे ।

15. साक्षी/मृतक की पत्नी **सरोज पांडेय (अ.सा.-2)** ने कथन किया है कि मृतक छोटेलाल उसके पति थे । मोदी चौक चांपा में उनकी डेयरी दुकान है । घटना दिनांक 26.06.2024 को उसके पति दोपहर करीब 12:30 बजे घर खाना खाने आए थे और वह दुकान में रुक गयी थी । रात्रि करीब 08:00 बजे तक उसके पति दुकान से नहीं आए, तब वह घर अंदर जाकर देखी तो उसके पति मृत पड़े थे और घर में चोरी हो गया था । उसने अपने पति के गले में चोंट के निशान देखे थे और वहीं पर तार पड़ा देखा था ।

16. साक्षी **भालचंद तिवारी (अ.सा.-09)** ने कथन किया है कि मृतक छोटेलाल पांडे उसके चाचा थे । घटना दिनांक 26.06.2024 को रात्रि करीब 9.30 बजे वह चाचा छोटेलाल पाण्डेय के घर गया, वहां पर जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी थी । छोटेलाल पाण्डेय की मृत्यु हो गई थी । उसने घर के अंदर जाकर देखा तो चाचा बिस्तर में पड़े थे एवं चाचा के शव के बगल में लाल रंग का तार पड़ा था ।

17. साक्षी **मनीष नामदेव (अ.सा.-6)** ने कथन किया है कि अमित पांडेय का फोन आया और उसने कहा कि पापा की तबियत ठीक नहीं है घर जाकर देखो तब वह अपने भाई जीवन नामदेव के साथ अमित के घर गया, वहां अमित के घर के कमरे के दरवाजे के पास मोहल्ले के लोग बैठे थे । वह घर के कमरे में गया तो देखा कि मृतक छोटेलाल पांडेय कमरे में सोये हुये थे । वह मृतक के पैर को छुआ तो पैर कड़ा लगा, पैर को हाथ से मले छोटोलाल की मृत्यु हो चुकी थी । मृतक छोटेलाल पांडेय के गले में निशान देखा था । मृतक के पास एक लाल रंग का केबल वायर देखा था ।

18. साक्षी **जीवन चंद्र नामदेव (अ.सा.-5)** ने कथन किया हे कि वह अपने भाई के साथ अमित के घर जाकर देखा तो घर के बेडरूम में छोटेलाल मृत अवस्था में बिस्तर में पड़ा था । मृतक के बाजू में एक लाल रंग का छिला हुआ वायर पड़ा हुआ था । मृतक के

गले में हल्का लाल निशान मौजूद था ।

19. उप निरीक्षक **दिलीप सिंह (अ.सा.-19)** ने कथन किया है कि दिनांक 26.06.2024 को सूचक संतोष कुमार पाण्डेय की सूचना पर मर्ग क्रमांक 61/24 (प्र.पी.-1) दर्ज किया था ।

20. उप निरीक्षक **के०डी० बनर्जी (अ.सा.-18)** ने कथन किया है कि मर्ग डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने मृतक छोटेलाल पाण्डेय के शव पंचनामा कार्यवाही में उपस्थिति हेतु गवाहों को नोटिस (प्र.पी.-2) देकर मृतक के शव का नक्शा पंचायतनामा (प्र.पी.-17) तैयार किया था । मृतक के शव को पी.एम. कराने हेतु प्रेषित किया था ।

21. **डा. मनीष श्रीवास्तव (अ.सा.-16)** के द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 27.06.2024 को थाना चांपा के आरक्षक क्रमांक 911 आकाश कलोसिया के द्वारा मृतक छोटेलाल पाण्डेय पिता स्व. हरप्रसाद पाण्डेय के शव को परीक्षण हेतु लाया गया था । मृतक के शव की पहचान मृतक के भांजा दामाद राजकुमार पाठक एवं भतीजा भालचंद तिवारी ने किया था ।

22. चिकित्सक साक्षी **डा. मनीष श्रीवास्तव (अ.सा.-16)** द्वारा कथन किया गया है कि मृतक के शरीर का बाह्य परीक्षण करने पर पाया कि मृतक के हाथ पैर में अकड़न आ गई थी, दोनों आंख बंद थी एवं पुतलियां फैली हुई थी । मुंह और नाक से लाल रंग

का स्त्राव निकल रहा था । मुंह खुला हुआ था । दोनों हाथों की मुट्ठी आधी बंद थी, नाखून नीला पड़ गया था । मृतक के गले के चारों तरफ पीछे के भाग को छोड़कर लाइगेचर मार्क जिसकी लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 8 cm एवं गहराई आधा cm थी ।

23. डा. मनीष श्रीवास्तव (अ.सा.-16) के द्वारा कथन किया गया है कि मृतक के शरीर का आंतरिक परीक्षण करने पर पर पाया कि मृतक के छाती के अंदर गले एवं श्वासनली में लाल रंग का द्रव उपस्थित था । दोनों फेफड़े कंजेस्टेड थे । मृतक के हृदय के दाहिने चेम्बर में खून भरा हुआ था एवं बांया चेम्बर खाली था । लीवर, स्पलीन एवं किडनी-कंजेस्टेड थी । मृतक के सर्वाइकिल स्पाईन सी3 की हड्डी (गर्दन के बीच की हड्डी) में फ्रेक्चर था ।

24. डा. मनीष श्रीवास्तव (अ.सा.-16) के द्वारा कथन किया गया है कि थाना चांपा द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा कॉपर तार निकला हुआ विद्युत वायर को क्वेरी हेतु प्राप्त होने पर उसने परीक्षण कर प्रतिवेदन (प्र.पी.-38) दिया था कि दो लाल कलर के तार जिसमें पहले की लंबाई 88 Cm एवं गोलाई 2Cm तथा दूसरे की लंबाई 66Cm एवं गोलाई 2Cm थी । **मृतक की मृत्यु उक्त तार से गला दबाने से हो सकती है ।**

25. साक्षी/चिकित्सक डा. मनीष श्रीवास्तव (अ.सा.-16) के मतानुसार मृतक की मृत्यु गले के दबाव में श्वासरोध के कारण हुई थी, मृत्यु शव परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी, **मृत्यु की प्रकृति**

हत्यात्मक थी, साक्षी ने शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी.-37) को प्रमाणित किया है ।

26. **उपरोक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मृतक छोटेलाल पाण्डेय की गला दबाकर हत्या की गयी थी** ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2

27. मृतक की पत्नी साक्षी **सरोज पांडेय (अ.सा.-2)** ने कथन किया है कि घटना 26.06.2024 को रात करीब 8:00 बजे तक उसके पति दुकान नहीं आए, तब वह अपने लड़के अमित पांडेय को फोन करके बोली कि अपने पापा को भेज दे, दुकान में दही जमाना है । उसका लड़का अमित 7-8 बार फोन किया, उसके पापा फोन नहीं उठा रहे थे । तब उसका लड़का अमित पड़ोसी सुनीता दुबे को फोन किया, तब सुनीता दुबे घर जाकर देखी और छोटेलाल बेहोश है बतायी । तब अमित ने अपने दोस्त मनीष और जीवन को फोन किया । मनीष और जीवन घर जाकर देखे और अमित को फोन कर बताये कि उसके पापा नहीं है और घर में चोरी हो गया है । तब वह दुकान बंद करके पैदल घर जाकर देखी । वहां पर पुलिस आ गयी थी और मोहल्ले के लोग भी पहुंच गये थे । वह घर के अंदर जाकर देखी, तब उसका पति मृत पड़ा था और घर में चोरी हो गया था । आलमारी के ताले टूटे हुये थे । आलमारी के लाकर में रखे सोने के हार, झूमका, मंगलसूत्र एवं चांदी के पायल, हाफ करधन, चाबी रिंग का गुच्छा

एवं नगदी 80,000/- रकम चोरी हो गया था ।

28. साक्षी सरोज पांडेय (अ.सा.-2) ने आगे कथन किया है कि उसने मृतक के गले में चोंट के निशान देखे थे और वहीं पर तार पड़ा देखा था । तहसील कार्यालय में आभूषणों के संबंध में पहचान कार्यवाही हुई थी, वहां पर तहसीलदार ने पहचान कार्यवाही (प्र.पी. 6) करवाई थी, उसने अपने जेवर का पहचान किया था । साक्षी को एफ.एल.रिपोर्ट के साथ संलग्न तार के छायाचित्र को दिखाये जाने पर वही तार का छायाचित्र (प्र.पी. 5-A, 5-B, 5-C, 5-D) होना बताई ।

29. मृतक के पुत्र साक्षी **अमित पांडेय (अ.सा.-4)** ने कथन किया है कि उन लोगों का मोदी चौक चांपा में डेयरी की दुकान है । सुबह 7:30 बजे के लगभग वह अपने डेयरी दुकान जाता था । उसके बाद 9:30 बजे के लगभग उसके पिताजी दुकान आते थे । तब वह घर नाश्ता करने चला जाता था । उसके बाद उसकी मां खाना खाकर 12:00 बजे दुकान आती थी तो उसके पापा घर चले जाते थे एवं दोपहर में उसकी मां दुकान में बैठती थी । उसके दुकान के सामने अभियुक्त दीपक यादव का जरी चना (अंकुरित चना) दुकान है । उसका अभियुक्त से घनिष्ठ संबंध है । अभियुक्त को वह अपने घर के बारे में पूरी जानकारी बताता था । जब वह जयपुर खाटूश्याम घूमने गया, तो अभियुक्त को बताया था कि 4-5 दिन बाद वापस आयेगा ।

30. साक्षी अमित पांडेय (अ.सा.-4) ने आगे कथन किया है कि घटना दिनांक 26.06.2024 को उसकी मां लगभग 7:30-8:00 बजे फोन की और बोली कि अपने पापा को भेज, दुकान में दही जमाना है । तब वह अपने पिताजी को 4-5 बार फोन लगाया, वे फोन नहीं उठाये । तब वह अपने पड़ोसी सुनीता दुबे को फोन लगाकर बोला कि घर जाकर देखो कि पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, वे सोये है क्या ? तब सुनीता दीदी घर जाकर गेट को खटखटाई और भैया-भैया करके आवाज दी, घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आया । फिर वह घर के अंदर जाकर देखने को बोला, तब सुनीता दीदी घर के अंदर गई और फोन करके बताई कि तुम्हारे पिताजी उठ नहीं रहे है, बेहोश है । अपनी अम्मा को भेजो, तब वह अपने दोस्त मनीष नामदेव को फोन किया । मनीष अपने भाई जीवन के साथ घर गया और उसके पिताजी के पैर को रगड़कर तथा छाती को दबाकर देखे । वे बताये कि तुम्हारे पिताजी उठ नहीं रहे है और वहीं पर बिस्तर के पास लाल वायर पड़ा हुआ है, आलमारी टूटा हुआ है एवं तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है । उसने अपने भैया संतोष पांडेय जो जांजगीर में निवास करता है, उन्हें फोन किया और बोला कि भैया घर में घटना घट गया है, चांपा जाकर देखो । रात के 11:00 बजे के लगभग उसने अभियुक्त दीपक यादव को भी फोन किया था । वह चांपा दिनांक 28/06/2024 को 12:00 बजे के लगभग पहुंचा

था ।

31. साक्षी **सुनीता दुबे (अ.सा.-3)** ने कथन किया है कि मृतक छोटेलाल पांडेय का घर उसके घर के सामने से कुछ दूरी पर है । घटना दिनांक 26.06.2024 को मृतक छोटेलाल का लड़का अमित पांडेय उसे फोन करके बोला कि चाची घर जाकर देखो पापा को फोन कर रहा हूं नहीं उठा रहे है और बोला कि घर के सामने बाईक खड़ी है कि नहीं देखना । वह छोटेलाल के घर जाकर देखी तो छोटेलाल की बाईक घर के बाहर खड़ी थी, गेट में सिटकनी अंदर तथा बाहर दोनों तरफ से बंद था । तब वह अमित को फोन कर बतायी अमित बोला कि घर के अंदर जाकर देखो कि पापा सोये है क्या ? तब वह गेट खोलकर घर के अंदर गई तो घर का लाईट बंद था एवं अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था । वह ईमरजेंसी लाईट का बटन दबाई तो बल्ब जला । वह खिड़की से आवाज दी तो छोटेलाल नहीं उठा एवं कोई आवाज नहीं आया । तब वह अमित को बोली कि छोटेलाल भैया सो रहे हैं, अपनी मम्मी को फोन करके बुला लो और वह घर के बाहर आ गई । अमित अपने दोस्तों को फोन करके भेजा तब उसके दो दोस्त आये और अमित के घर के अंदर गये और छोटेलाल को देखे और अमित को बताये कि तेरे पापा को अटैक आ गया, उस समय वह घर के बाहर थी । अमित के दोस्त छोटेलाल के छाती को दबा रहे थे और पैर को मल रहे थे । उसके बाद मोहल्ले के

लोग भी आ गये थे एवं वह अपने घर चली गई । अमित के दोस्त ने छोटेलाल के गर्दन के पास एक वायर का टुकड़ा लाल रंग का देखा था ।

32. साक्षी **संतोष कुमार पांडेय (अ.सा.-1)** के कथन अनुसार चाचा/मृतक छोटेलाल के शव उठा रहे थे तो उसने गले के पीछे साईड लाल रंग के खून जैसे निशान देखा था तथा पास में वायर पड़ा हुआ था, आलमारी खुली हुई थी और उसके ताले वगैरह टूटे हुए थे । साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर तार के दो टुकड़े थे, एक जमीन पर पड़ा था और एक टुकड़ा चाचा/मृतक के गले के पीछे था । साक्षी को एफ.एल.रिपोर्ट के साथ संलग्न तार के छायाचित्र को दिखाये जाने पर वही तार का छायाचित्र (प्र.पी. 5-A, 5-B, 5-C, 5-D) होना बताया ।

33. साक्षी **मनीष नामदेव (अ.सा.-6)** ने कथन किया है कि जब वह अमित के घर गया तो मृतक छोटेलाल पाण्डेय कमरे में सोये हुये थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, घर के कमरे को देखे तो घर का सामान बिखरा हुआ था, आलमारी टूटा हुआ था । उसने मृतक छोटेलाल पाण्डेय के गले में निशान देखा था और मृतक के पास लाल रंग का केबल वायर देखा था । साक्षी को प्रकरण में जप्तशुदा (प्र.पी.-5A, प्र.पी.-5B एवं प्र.पी.-5C) का छायाचित्र दिखाये जाने पर उसने वहीं केबल वायर होना जिसे मृतक छोटेलाल के पास में पड़ा हुआ देखा था ।

34. साक्षी **जीवन चंद्र नामदेव (अ.सा.-5)** ने कथन किया है कि जब वह अपने भाई मनीष के साथ अमित के घर गया तो घर के बेडरूम में छोटेलाल मृत अवस्था में बिस्तर में पड़ा हुआ था । आलमारी एवं आलमारी का लॉकर टूटा हुआ था, मृतक छोटेलाल पाण्डेय के बाजू में एक लाल रंग का छिला हुआ वायर पड़ा हुआ था, मृतक के गले में हल्का लाल निशान मौजूद था । साक्षी को प्रकरण में जप्तशुदा (प्र.पी.-5A, प्र.पी.-5B एवं प्र.पी.-5C) का छायाचित्र दिखाये जाने पर उसने वहीं केबल वायर होना जिसे मृतक छोटेलाल के पास में पड़ा हुआ देखा था । उसे मृतक छोटेलाल को देखने से ऐसा लगा कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है । घटना के कुछ दिन बाद पुलिस वाले उसे फोन कर तहसील चांपा बुलाये थे, जहां उसके समक्ष सोने-चांदी के आभूषण की पहचान कार्यवाही कराये थे । उसके समक्ष मृतक की पत्नी सरोज पाण्डेय ने उक्त आभूषणों की पहचान की थी, पहचान पंचनामा कार्यवाही (प्र.पी.-06) है ।

35. साक्षी **सुशांत चौधरी (अ.सा.-15)** ने कथन किया है कि वह सोने-चांदी का व्यवसाय करता है । थाना चांपा के पुलिस वाले सोने-चांदी के जेवर जांच के लिये लेकर आये थे जिसकी जांच उसने की थी । उसने जप्तशुदा सोने-चांदी के जेवर का परीक्षण कर अपने 15 वर्षो के अनुभव के आधार पर बताया था कि जप्तशुदा आभूषण सोने एवं चांदी के है । उक्त संबंध में उसके द्वारा दिया

गया जांच प्रतिवेदन (प्र.पी.-35ए) है ।

36. साक्षी **राजकुमार पाठक (अ.सा.-7)** ने कथन किया है कि मृतक छोटेलाल पाण्डेय उसका मामा था । पुलिस वाले उसे तहसील कार्यालय चांपा फोन कर बुलाये थे, तब वह तहसील कार्यालय चांपा गया था । जहां सोने-चांदी के आभूषण के संबंध में पहचान कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी । उक्त पहचान कार्यवाही (प्र.पी.-6) तहसीलदार के सामने हुई थी । पहचान कार्यवाही के समय पुलिस वाले गेट के बाहर मौजूद थे । आभूषणों की पहचान उसकी मामी सरोज पाण्डेय ने की थी ।

37. साक्षी **नायब तहसीदार प्रशांत गुप्ता (अ.सा.-17)** ने कथन किया है कि अभियुक्तगण से जप्त सोने-चांदी के आभूषण का मृतक की पत्नी से पहचान कार्यवाही कराने बाबत् मेमो क्रमांक/अपराध/268/2024 दिनांक 18.07.2024 (प्र.पी.-06ए) प्राप्त होने पर उसने दिनांक 08.08.2024 को सरोज पाण्डेय पति स्व. छोटे लाल पाण्डेय से उक्त अपराध क्रमांक में जप्तशुदा सोने-चांदी के आभूषण की पहचान कार्यवाही करवाई थी, पहचान कार्यवाही के लिये पुलिस के द्वारा दिये गये सोने-चांदी के आभूषणों के साथ उसी प्रकार के दो सेट सोने-चांदी के मिलाकर पहचान कार्यवाही कराई थी । जो दो सेट मिलाये थे उसे भी पुलिस वाले लेकर आये थे । पहचान कार्यवाही में सरोज पाण्डेय ने अपने जेवरों को पहचाना था । पहचान कार्यवाही के पश्चात का शिनाख्ती पंचनामा

(प्र.पी.-06) गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया गया था ।

38. जप्ती एवं मेमोरंडम के साक्षीगण **भालचंद तिवारी (अ.सा.-09) एवं संतोष कुमार तिवारी (अ.सा.-11)** ने कथन किया है कि उनके समक्ष अभियुक्त मिर्जा शाहिद बेग ने पुलिस को बताया था कि उसने छोटेलाल पाण्डेय को मार दिया है तथा एक सोने का हार, एक टूटा हुआ लाकेट, एक सोने की बाली, एक ओम छपा हुआ सोने का लॉकेट, एक सोने का मंगलसूत्र, चांदी का करधन, सोने का लटकन, सोने का एक माला जिसमें 10-11 नग सोने का दाना था, दो चांदी का पैरपट्टी एवं तीन सोने की फुली को अपने घर में छिपाकर रखा है, बरामद करा देता है । उक्त संबंध में अभियुक्त मिर्जा शाहिद बेग द्वारा दिया गया मेमोरेंडम कथन (प्र.पी.-19) है । अभियुक्त मिर्जा शाहिद बेग के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसके द्वारा नदी किनारे बने सुलभ काम्पलेक्स के छज्जे से सोने चांदी के गहने निकालकर पेश करने पर पुलिस वाले जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्र.पी.-22)** तैयार किये थे ।

39. **भालचंद तिवारी (अ.सा.-09) एवं संतोष कुमार तिवारी (अ.सा.-11)** द्वारा आगे कथन किया गया है कि उनके समक्ष अभियुक्त दीपक यादव ने पुलिस को बताया था कि उसने एवं अभियुक्त शाहीद बेग ने मिलकर छोटेलाल को मार दिये हैं तथा छोटेलाल के घर में रखे सोने-चांदी के गहनों को ले गये है तथा आपस में बांट लिए है, वह अपने हिस्से के गहनों को अपने घर में बने टीन के छज्जे

में रखा है, बरामद करा देता है । उक्त संबंध में अभियुक्त दीपक यादव द्वारा दिया गया मेमोरेंडम कथन (प्र.पी.-20) है । उक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार पर अभियुक्त दीपक यादव द्वारा अपने घर के छज्जे से एक सोना-चांदी रखने वाला छोटा बेग जिसमें सोने-चांदी के गहने थे निकालकर पेश करने पर, पुलिस वाले जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्र.पी.-21)** तैयार किये थे ।

40. **भालचंद तिवारी (अ.सा.-09)** ने यह भी कथन किया है कि पुलिस वाले उसके समक्ष घटनास्थल से एक लाल रंग का तार जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्र.पी.-23)** तैयार किये थे।

41. साक्षी **पटवारी पतिराम श्रीवास (अ.सा.-08)** ने कथन किया है कि तहसीलदार चांपा के निर्देशानुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों के समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी.-10) तैयार किया था ।

42. साक्षी **उप निरीक्षक के०डी० बनर्जी (अ.सा.-18)** ने कथन किया है कि डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक 27.06.2024 को घटनास्थल पहुंचकर नजरी नक्शा (प्र.पी.-40) तैयार किया था । दिनांक 28.06.2024 को मर्ग जांच पर से प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 268/24 (प्र.पी.-41) दर्ज किया था । घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्रदाय करने बाबत् मेमो (प्र.पी.-10ए) तहसीलदार को प्रेषित किया था ।

43. साक्षी उप निरीक्षक के०डी० बनर्जी (अ.सा.-18) ने कथन किया है कि दिनांक 27.06.2024 को उसने घटनास्थल से एक लाल रंग का वॉयर छिला हुआ जिसकी लंबाई 88 से०मी० तथा चौड़ाई करीब 2 से०मी०, एक लाल रंग का छिला हुआ वॉयर जिसकी लंबाई 66 से०मी० तथा मोटाई करीब 2 से०मी०, एक आलमारी का लोहे का हैण्डल टूटा हुआ गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्र.पी.-23)** तैयार किया था ।

44. उक्त साक्षी उप निरीक्षक के०डी० बनर्जी (अ.सा.-18) द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 12.07.2024 को उसने गवाह संतोष यादव एवं निखिल पाण्डेय की उपस्थिति में अभियुक्त दीपक यादव का मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.-25) तथा अभियुक्त मिर्जा शाहिद बेग का मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.-26) लेखबद्ध किया था । अभियुक्त दीपक यादव के पेश करने पर एक विवो कंपनी का मोबाईल, एक लाल रंग की स्कूटी क्रमांक सीजी 11 एपी 7877, एक लोहे का बना हुआ सूम्हा (लोहे का एक नुकीला औजार) जिसका एक तरफ नुकीला है तथा दूसरे तरफ मुड़ा हुआ है, **एक केबल वॉयर का लाल रंग का टुकड़ा जिसके अंदर का तार निकला हुआ** है, एक थ्री पिन लाल रंग का केबल प्लक, नगदी रकम 3100/- रूपये जिसमें 500 रूपये के 6 नोट तथा 100 रूपये के एक नोट है को जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्र.पी.-27)** तैयार किया था । दिनांक 12.07.2024 को ही अभियुक्त मिर्जा शाहिद बेग के द्वारा अपने

पेंट के जेब से निकाल कर पेश करने पर एक रेडमी कंपनी का मोबाईल एवं नगदी रकम 3600/- रूपये गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्र.पी.-28)** तैयार किया था ।

45. साक्षी उप निरीक्षक के०डी० बनर्जी (अ.सा.-18) ने कथन किया है कि दिनांक 16.07.2024 को उसने साक्षी भालचंद तिवारी एवं संतोष कुमार तिवारी की उपस्थिति में अभियुक्त मिर्जा शाहिद बेग का मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.-19) एवं अभियुक्त दीपक यादव का मेमोरण्डम कथन (प्र.पी.-20) लेखबद्ध किया था ।

46. साक्षी उप निरीक्षक के०डी० बनर्जी (अ.सा.-18) ने कथन किया है कि दिनांक 16.07.2024 को **अभियुक्त दीपक यादव** के द्वारा अपने घर से निकाल कर पेश करने पर एक ज्वेलरी पैकेट जिसमें सुनील कुमार भगवान दास स्वर्णकार लिखा हुआ है, एक जोड़ी कान का झुमका सोने के धातु जैसा करीब 8 ग्राम 490 मिली ग्राम, एक जोड़ा सोने के धातु जैसा कान का लटकन वजन करीब 3 ग्राम 940 मिलीग्राम, 10 नग सोने के धातु जैसा साबूत गौठला तथा एक नग पिचका हुआ गौठला, जुमला 11 नग गले में पहनने का गौठला वजन करीब 4 ग्राम 90 मिलीग्राम, एक नग सोने जैसे धातु का टुटा हुआ लॉकेट एवं उसका टुकड़ा वजन करीब 1 ग्राम 40 मिलीग्राम, एक नग सोने के धातु जैसा ओम लिखा लॉकेट वजन करीब 700 मिलीग्राम, एक नग मोती के माला में गुथा हुआ सोने के धातु जैसा जिसमें 8 नग मटर दाना माला टूटा

हुआ है वजन करीब 710 मिलीग्राम जुमला किमती 1,32,800/- रूपये गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्र.पी.-21)** तैयार किया था ।

47. साक्षी उप निरीक्षक के०डी० बनर्जी (अ.सा.-18) ने कथन किया है कि दिनांक 16.07.2024 को ही **अभियुक्त मिर्जा शाहिद बेग** के द्वारा एनीकट चांपा में बने सुलभ काम्पलेक्स के पीछे में झाड़ी के नीचे छुपाकर कर रखे को निकालकर पेश करने पर एक सोने जैसा पीले रंग का हार वजन करीब 18 ग्राम 220 मिलीग्राम, 1 नग सोने जैसे धातु का बाली वजन करीब 1 ग्राम 630 मिलीग्राम, 3 नग सोने जैसे धातु का नाक का फुल्ली वजन करीब 57 मिलीग्राम, एक नग चांदी जैसे धातु का हाफ करधनी वजन करीब 51 ग्राम 700 मिलीग्राम, एक नग चांदी जैसे धातु का चाबी रिंग वजन करीब 16 ग्राम 120 मिलीग्राम, एक जोड़ा चांदी जैसे धातु का पॉयल वजन करीब 155 ग्राम 120 मिलीग्राम, एक जोड़ा चांदी जैसे धातु का पैरपट्टी वजन करीबन 65 ग्राम जुमला किमती 1,55,300/- रूपये गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्र.पी.-22)** तैयार किया था ।

48. साक्षी उप निरीक्षक के०डी० बनर्जी (अ.सा.-18) ने कथन किया है कि दिनांक 17.07.2024 को थाना चांपा के उक्त अपराध में जप्त आभूषणों का परीक्षण कर नतीजे से अवगत कराने बाबत् ज्ञापन (प्र.पी.-35) सुशांत चौधरी को प्रेषित कर जांच प्रतिवेदन (प्र.पी.-

35ए) प्राप्त किया था । साक्षी ने दिनांक 18.07.2024 को उक्त अपराध में अभियुक्तगणों से जप्त सोने-चांदी के आभूषण का मृतक की पत्नी से पहचान कार्यवाही कराने बाबत् पत्र (प्र.पी.-06ए) तहसीलदार चांपा को प्रेषित किया था । दिनांक 14.08.2024 को जप्तशुदा आलाजरब कॉपर तार निकला हुआ विद्युत वॉयर का परीक्षण कर प्रतिवेदन देने बाबत् पत्र (प्र.पी.-38ए) चिकित्सा अधिकारी बीडीएम अस्पताल चांपा को प्रेषित किया था ।

49. साक्षी **डीएसपी डॉ. नरेश पटेल (अ.सा.-14)** ने कथन किया है कि प्रकरण की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 29.06.2024 को घटनास्थल मृतक छोटेलाल पाण्डेय का मकान का नजरी नक्शा (प्र.पी.-07) गवाह अमित कुमार पाण्डेय के बताये अनुसार तैयार किया था । कार्यालय पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के पत्र दिनांक 26.08.2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शो का रासायनिक परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदाय करने बाबत् पत्र संचालक राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को पत्र (प्र.पी.-33) प्रेषित कर एफएसएल से रिपोर्ट (प्र.पी.-5) प्राप्त किया था, उक्त रिपोर्ट के साथ तार की छायाप्रति (प्र.पी.-5ए से प्र.पी.-5डी) है । **उक्त रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल से जप्त वायर एवं अभियुक्त दीपक यादव से जप्त वायर के टुकड़े एक-दूसरे के अभिन्न भाग थे ।**

50. इस प्रकरण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया

गया है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अभियोजन का प्रकरण केवल मेमोरंडम कथन पर आधारित है । धारा 25 एवं 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पुलिस के समक्ष की गयी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है एवं केवल उतना ही कथन साक्ष्य में ग्राह्य है जिसके अनुसार किसी तथ्य का पता लगाया गया हो ।

51. मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से सहमत हूं कि प्रकरण में प्रकरण में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है एवं मेमोरंडम, जप्ती एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है । मैं बचाव पक्ष के इस तर्क से भी सहमत हूं कि धारा 25 एवं 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पुलिस के समक्ष की गयी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है एवं केवल उतना ही कथन साक्ष्य में ग्राह्य है जिससे किसी तथ्य की **खोज (Discovery)** होती है ।

52. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत- Sharad Birdhi Chand Sarda vs State Of Maharashtra AIR 1984 SC 1622 में परिस्थितियों को प्रमाणित करने के संबंध में पांच नियम अभिनिर्धारित किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैः-

- परिस्थितियाँ पूरी तरह स्थापित होनी चाहिए: अपराध सिद्ध करने के लिए जिन परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है, वे पूरी तरह स्थापित होनी चाहिए ।

- परिस्थितियाँ निर्णायक होनी चाहिए: परिस्थितियां निर्णायक होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करनी चाहिए ।
- परिस्थितियाँ अपराध को समर्थन प्रदान करती हैं: परिस्थितियों से यह परिकल्पना समर्थित होनी चाहिए कि अभियुक्त दोषी है ।
- परिस्थितियों को अन्य परिकल्पनाओं को बाहर करना चाहिए: अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए ।
- साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए: साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला होनी चाहिए जो यह दर्शाये कि अभियुक्त ने संभवतः यह कृत्य किया है ।

53. इस प्रकरण में जो तथ्य एवं परिस्थितियां प्रमाणित पाये गये है वह निम्नानुसार है:-

1) मृतक छोटेलाल पांडेय का शव उसके घर में बिस्तर में पाया गया था । शव के गर्दन पर लिगेचर मार्क थे ।

2) चिकित्सा अधिकारी डा. मनीष श्रीवास्तव (अ.सा.-16) के कथन अनुसार मृतक छोटेलाल पांडेय की मृत्यु गले के दबाव में श्वावरोध के कारण हुई थी । मृतक के गर्दन के बीच की हड्डी में फ्रेक्चर था । मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी ।

3) साक्षीगण संतोष कुमार पांडेय (अ.सा.-1), सरोज पांडेय (अ.सा.-2), जीवनचंद्र नामदेव (अ.सा.-5), मनीष नामदेव (अ.सा.-6), भालचंद तिवारी (अ.सा.-9) के कथन अनुसार घटनास्थल पर लाल रंग के तार के दो टुकड़े पड़े थे ।

4) उक्त साक्षीगण संतोष कुमार पांडेय, सरोज पांडेय, जीवनचंद्र नामदेव, मनीष नामदेव, भालचंद तिवारी के कथन अनुसार घर की आलमारी खुली थी और उसके ताले टूटे थे ।

5) साक्षी सरोज पांडेय (अ.सा.-2) के कथन अनुसार घर के अंदर से सोने-चांदी के गहने एवं 80,000/- रूपये चोरी हो गये थे ।

6) विवेचना अधिकारी के.डी. बनर्जी (अ.सा.-16) के द्वारा अभियुक्तगण दीपक यादव एवं मिर्जा शाहिद बेग की निशानदेही पर जप्तीपत्रक प्र.पी.-21 एवं 22 के अनुसार सोने-चांदी के जेवरात को जप्त किया गया था, जिसकी पुष्टि जप्ती के साक्षीगण साक्षीगण भालचंद तिवारी (अ.सा.-09) एवं संतोष कुमार तिवारी (अ.सा.-11) द्वारा की गयी है ।

7) साक्षी प्रशांत गुप्ता (अ.सा.-17) नायब तहसीलदार के कथन अनुसार उसके समक्ष मृतिका की पत्नी सरोज पांडेय के द्वारा आभूषणों की पहचान की गयी थी ।

8) साक्षी सुशांत चौधरी (अ.सा.-15) ज्वेलर्स द्वारा जप्तशुदा

आभूषणों की जांच कर प्रतिवेदन (प्र.पी.-35 ए) दिया गया था कि उक्त आभूषण सोने-चांदी के है ।

9) अभियुक्तगण से उपरोक्त जप्ती एवं अन्य कार्यवाही के संबंध में धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण में प्रश्न पूछे जाने पर कोई संतुष्टिजनक उत्तर न देते हुये केवल गलत है, मालूम नहीं, पता नहीं का जवाब दिया गया है ।

54. मेरे विचार में उपरोक्त तथ्यों से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कड़ियां एक-दूसरे से निर्णायक रूप से पूरी तरह जुड़ रही है एवं इस प्रकार की श्रृंखला बन रही है कि अधिकतम संभावना इस बात की है कि अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलकर एक-दूसरे के सामान्य आशय में छोटेलाल पांडेय के घर में घुसकर उसकी हत्या की गयी तथा वहां से सोने-चांदी के आभूषणों की लूट कारित की गयी । उक्त परिस्थितियां स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण के अपराध की ओर संकेत करती है एवं यह भी इंगित करती है कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किये जाने के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किये जाने की परिकल्पना के लिए कोई जगह नहीं है ।

55. अतः मेरे विचार में अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे यह आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलकर एक-दूसरे के सामान्य आशय में छोटेलाल पांडेय के घर में घुसकर उसकी हत्या की गयी तथा वहां से सोने-

चांदी के आभूषणों की लूट कारित की गयी ।

56. अतः अभियुक्तगण **दीपक यादव एवं मिर्जा शाहिद बेग** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450, 302 सहपठित धारा 34 एवं 397 के अपराध का दोषी घोषित किया जाता है ।

57. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण में निर्णय स्थगित रखा गया।

Sd/-
(जयदीप गर्ग)
सेशन जज
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

<u>दंडादेश</u>

58. दंड के प्रश्न पर अभियुक्तगण, उनके विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया । अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि उनका प्रथम अपराध है, कम से कम दण्ड दिया जाये । इसके विपरीत राज्य की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण पर आपराधिक षड़यंत्र रचकर अपहरण, लूट एवं हत्या कारित करने जैसा गंभीर अपराध प्रमाणित हुआ है । अतः उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाये ।

59. दण्डादेश के संबंध में विचार किया गया । अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं हैं । अतः यह उनका प्रथम अपराध माना जावेगा । अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रमाणित अपराध में आजीवन

कारावास और जुर्माने के दंड का प्रावधान है । अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्धदोष अपराध की प्रकृति तथा विधि द्वारा नियत सजा को देखते हुए अभियुक्तगण को निम्न तालिका अनुसार दंडित किया जाता है:-

क्र.	अभियुक्त का नाम	प्रमाणित अपराध	दंडादेश	अर्थदंड	व्यतिक्रम में कारावास
1.	दीपक यादव	धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं.	आजीवन कारावास	10,000/-	छः माह का सश्रम कारावास
		धारा 397 भा.दं.स	आजीवन कारावास	10,000/-	छः माह का सश्रम कारावास
		धारा 450 भा.दं.सं.	10 वर्ष का सश्रम कारावास	10,000/-	छः माह का सश्रम कारावास
2.	मिर्जा शाहिद बेग	धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं.	आजीवन कारावास	10,000/-	छः माह का सश्रम कारावास
		धारा 397 भा.दं.स	आजीवन कारावास	10,000/-	छः माह का सश्रम कारावास
		धारा 450 भा.दं.सं.	10 वर्ष का सश्रम कारावास	10,000/-	छः माह का सश्रम कारावास

अभियुक्तगण को दी गयी कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावें ।

60. प्रकरण में प्रकरण में जप्त सोने-चांदी के आभूषण सुपुर्ददार सरोज पांडेय के सुपुर्दनामें पर है, अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा

सुपुर्ददार के पक्ष में भारहीन किया जाता है । प्रकरण में जप्त स्कूटी वाहन क्रमांक सी.जी.-11/ए.पी.-7877 को अपील अवधि पश्चात् उसके पंजीकृत स्वामी को वापस किया जावें । अपील अवधि पश्चात् जप्तशुदा दो नग मोबाईल एवं नगद राशि पर दावा नहीं किये जाने पर राजसात की जावें एवं दावा किये जाने पर विधि/नियमानुसार निराकरण किया जावें । शेष जप्तशुदा विद्युत वायर, केबल वायर के टुकड़े, आलमारी का टूटा हेंडल, लोहे का सुमा, थ्री पिन प्लक केबल सहित मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरांत नष्ट किया जावें । अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार समस्त संपत्ति का निराकरण किया जावेगा ।

61. अभियुक्तगण प्रकरण के विवेचना एवं विचारण के दौरान दिनांक 12.07.2024 से आज दिनांक 11.08.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी उक्त अवधि का समायोजन कारावास की अवधि में किया जाये । इस संबंध में प्रमाण पत्र तैयार कर निर्णय के साथ संलग्न किया जावें ।

62. प्रकरण में छ.ग. राज्य पीडित प्रतिकर योजनांतर्गत मृतक के विधिक वारिसान को क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है । इस हेतु निर्णय की एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को प्रेषित की जावें ।

63. अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है । अतः माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के क्रिमिनल अपील क्रमांक 619/18 रामदास सोनी विरूद्ध छ.ग. राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2019 में दिए गए निर्देशानुसार निर्णय एवं दंडादेश की प्रति सहित सजा भुगताने हेतु जिला जेल जांजगीर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि अभियुक्तगण को उक्त प्रतिलिपि प्रदान करते हुये उसे विधिक सेवा के माध्यम से निःशुल्क अपील करने के अधिकार की सूचना प्रदान करे तथा अपील प्रस्तुत करने में सहयोग करे ।

64. माननीय उच्चतम न्यायालय के SLP (Cri.) CRLMP No. (s) 7862/2017 शंकर महतो बनाम बिहार राज्य में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2026 के परिप्रेक्ष्य में दोषसिद्ध निर्णय की सत्यप्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावें ।

65. प्रकरण में निर्णय की प्रति लोक अभियोजक को निःशुल्क प्रदान किया जावें ।

स्थानः- जांजगीर,
दिनांक 11.08.2026

Sd/-
(जयदीप गर्ग)
सेशन जज
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

CNR No. CGJC010022492024

सत्र प्रकरण क्रमांक -104/2024

छ.ग. राज्य वि. दीपक यादव व अन्य

<u>अभियुक्तगण का विवरण एवं धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र</u>

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दी गयी सजा	धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रकरण के विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतित अवधि
1.	दीपक यादव	12.07.24	---	धारा 450, 302 सहपठित धारा 34 एवं 397 भा.द.सं.	दोषसिद्ध	कंडिका-59 की तालिका अनुसार	दिनांक 12.07.24 से आज दिनांक 11.08.24
2.	मिर्जा शाहिद बेग	12.07.24	---	धारा 450, 302 सहपठित धारा 34 एवं 397 भा.द.सं.	दोषसिद्ध	कंडिका-59 की तालिका अनुसार	दिनांक 12.07.24 से आज दिनांक 11.08.24

स्थानः- जांजगीर,

दिनांक 11.08.2026

Sd/-

(जयदीप गर्ग)

सेशन जज

जांजगीर-चांपा (छ.ग.)